HAPUR POLICE

OPERATION CONVICTION

हापुड़ पुलिस द्वारा मा0 न्यायालय में प्रभावी, सशक्त पैरवी करते हुए हत्या करने के मामले में 03 अभियुक्तों को आजीवन सश्रम कारावास व 1.27-1.27 लाख रु0 (कुल 3.81 लाख रु0) के अर्थदण्ड से दंडित कराया गया।

पुलिस महानिदेशक उ0प्र0 महोदय द्वारा चलाये जा रहे "ऑपरेशन कन्विक्शन" अभियान के अन्तर्गत आरोपियों को न्यूनतम समय में सजा दिलाए जाने के क्रम में हापुड़ पुलिस द्वारा गुणवत्तापूर्ण विवेचना तथा अभियोजन व मॉनीटरिंग सेल द्वारा प्रभावी पैरवी करते हुए आज दिनांक 27.11.2025 को मा0 न्यायालय के द्वारा "हत्या करने" के अभियोग में 03 अभियुक्तों को दंडित कराया गया है, जिसका विवरण निम्नवत् है-

- दिनांक 26.11.2019 को थाना हाफिजपुर क्षेत्रान्तर्गत अभियुक्तगण 1. आनन्द पुत्र शिवकुमार, 2. छत्रपाल उर्फ छतरू पुत्र शिवकुमार व 3. मनीष पुत्र आनन्द निवासीगण ग्राम गिरधरपुर तुमरैल थाना हाफिजपुर जनपद हापुड़ द्वारा मुकदमा वादी के भाई की गोली मारकर हत्या कारित करने की दुस्साहसिक घटना की गयी थी, जिसके सम्बन्ध में थाना हाफिजपुर पर मु0अ0सं0 261/19 धारा 302, 307, 323, 504, 506, 34 भादवि पंजीकृत किया गया था तथा दिनांक 15.02.2020 को आरोप पत्र मा0 न्यायालय प्रेषित किया गया।
- आज दिनांक 27.11.2025 को अभियुक्तगण उपरोक्त को मा0 न्यायालय एडीजे/एफटीसी द्वितीय हापुड़ द्वारा आजीवन सश्रम कारावास व 1.27-1.27 लाख रु0 (कुल 3.81 लाख रु0) के अर्थदण्ड की सजा सुनाई गई।
- अभियोजन विभाग से श्री आशीष कुमार (शासकीय अधिवक्ता) व विवेचक निरीक्षक श्री कौशलेन्द्र सिंह यादव एवं पैरोकार है0का0 852 पुष्पेन्द्र व कोर्ट मोहर्रिर का0 563 दुषयन्त राठी का विशेष योगदान रहा।

<u>नोटः-</u> अभियुक्तगण आनन्द व छत्रपाल उर्फ छतरू उपरोक्त के कब्जे से घटना में प्रयुक्त अवैध असलहा बरामद हुए थे, जिसमें मा0 न्यायालय द्वारा अभियुक्तगण आनन्द व छत्रपाल उर्फ छतरू पर उपरोक्त सजा व जुर्माने के अतिरिक्त 6,000-6,000/- रुपये (कुल 12,000/- रुपये) का अर्थदण्ड भी लगाया गया है।